



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
विशेष अपील संख्या – 6/2026

शीला

... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

एवं 12 अन्य

... उत्तरदाता(गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – रत्नेश चन्द्रा, अक्षय बाजपेई, वैभव तिवारी

उत्तरदाता (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रत्नेश चंद्र एवं राज्य प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. यह अपील रिट-सी संख्या 11448/ 2025; श्रीमती शीला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.11.2025 के विरुद्ध की गई है।
3. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि सुल्तानपुर ब्लॉक, हरगांव तहसील, जिला सुल्तानपुर स्थित ग्राम पंचायत में प्रधान का पद रिक्त हो गया। फलस्वरूप, अपीलकर्ता को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 जे के अंतर्गत कार्यवाहक प्रभार दिया गया। व्यथित व्यक्तियों ने रिट याचिका संख्या 7630/2025; कमलेश कुमार मौर्य उर्फ उमेश कुमार मौर्य एवं 5 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य के माध्यम से विहित प्राधिकारी के उक्त कृत्य को रिट न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। यह चुनौती सफल रही क्योंकि यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 जे के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग के संबंध में इस न्यायालय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के निर्णयों को ध्यान में नहीं रखा गया था। तदनुसार, अपीलकर्ता की नियुक्ति रद्द कर दी गई एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतापुर को **श्यामू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (2010 एससीसी ऑनलाइन एचडी 1250) एवं **श्याम रंग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, रिट सी संख्या 10901/2023, निर्णय दिनांक 22.12.2023 में प्रदत्त निर्देशों के आलोक में ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए नए सिरे से कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया। इसके बाद, जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतापुर ने दिनांक 06.10.2025 को प्रतिवादी संख्या 11- आराधना मौर्य को कार्यवाहक प्रधान नियुक्त करने का आदेश पारित किया। इसी आदेश को अपीलकर्ता ने रिट याचिका संख्या 11448/2025 द्वारा रिट न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। अपीलकर्ता की रिट याचिका, आदेश दिनांक 27.11.2025 द्वारा खारिज कर दी गई थी, इसलिए यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत दायर की गई है।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश **श्यामू (उपरोक्त)** मामले में की गई इस आशय की टिप्पणियों से सहमत थे कि यदि सदस्यों की भारी संख्या किसी उम्मीदवार को वरीयता देती है, तो विहित प्राधिकारी को नामांकन करते समय सामान्यतः बहुमत की राय को ध्यान में रखना चाहिए। अपीलकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि सीतापुर के जिला पंचायत अधिकारी ने कार्यवाहक प्रधान को मनोनीत करने के अपने निर्णय के आधार के रूप में प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा प्राप्त मतों का ही आश्रय लिया है, जबकि उन्होंने **श्यामू (उपरोक्त)** मामले में खंड न्यायपीठ के उस निर्णय की अनदेखी की है, जिस पर विद्वान एकल न्यायाधीश बेंच ने **जगदीश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**, 2019 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 4848 वाद में विचार किया था।

5. हमने **श्यामू (उपरोक्त)** एवं **जगदीश (उपरोक्त)** दोनों ही मामलों के निर्णयों का परिशीलन किया है। **श्यामू (उपरोक्त)** का प्रस्तर संख्या 16 निम्नवत है:-

16. प्रश्न यह है कि क्या निर्वाचित सदस्यों द्वारा दी गई ऐसी राय विहित प्राधिकारी पर बाध्यकारी होगी। यदि ऐसा निर्वचन किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 12-जे के अंतर्गत विहित प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की गई शक्ति को अन्य सदस्यों की राय के अधीन पड़ा जाना होगा। यह विधि का उचित निर्वचन नहीं होगा। इस स्थिति में आरक्षण नीति के उल्लंघन की संभावना हो सकती है, और/या कोई व्यक्ति अन्य सदस्यों पर अपना नाम प्रस्तावित करने के लिए दबाव डाल सकता है, और/या इसी प्रकार की अन्य स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। विहित प्राधिकारी को परामर्श प्रक्रिया के बाद सदस्यों

की इस राय को स्वीकार करने का निर्देश देना कि ग्राम का प्रधान कौन होना चाहिए, एक सीमा तक धारा के शब्दों के विरुद्ध होगा। उस सीमा तक, हमारी राय में, प्रस्तर के उत्तरार्ध में की गई टिप्पणी, जिसे हमने पृथक उद्धृत किया है, जो व्यावहारिक रूप से यह धारित करती है कि निर्वाचित सदस्यों द्वारा दी गई राय जिला मजिस्ट्रेट पर बाध्यकारी होगी, अधिनियम की धारा 12-जे का उचित निर्वचन नहीं होगी एवं उस सीमा तक इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता हो सकती है। उदयवीर (उपरोक्त) मामले में खंडपीठ के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, विहित प्राधिकारी को अधिकतम, सदस्यों की राय को नोट करना चाहिये एवं उसके बाद प्रधान को नामित करने की प्रक्रिया करनी चाहिये। ऐसी कार्रवाई, कुछ सीमा तक, विहित प्राधिकारी को यह जानने में सहायता करेगी कि सदस्यों का विश्वास किसे प्राप्त है, एवं इससे उसे अनौपचारिक विकल्प चुनने में सहायता मिलेगी। यदि अधिकांश सदस्य किसी उम्मीदवार को वरीयता देते हैं, तो विहित प्राधिकारी को सामान्यतः नामांकन के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उस राय को ध्यान में रखना चाहिए, यदि प्रस्तावित नाम अन्यथा किसी नीति के विरुद्ध न हो। हमारी राय में, यह धारा 12-जे का उचित निर्वचन होगा, जिससे धारा के अंतर्गत विहित प्राधिकारी की शक्ति कम नहीं होगी। श्रीमती उषा सिंह (उपरोक्त) मामले में की गई टिप्पणी को इसी संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।

6. जगदीश (उपरोक्त) के प्रस्तर 6 से 9 निम्नवत हैं:-

"(6) श्यामू वाद के निर्णय के पठन से यह स्पष्ट है कि यद्यपि खंड न्यायपीठ के बाद के निर्णय में उदयवीर वाद में पूर्व निर्णय के तर्क को इस सीमा तक स्वीकार किया गया कि ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों की इच्छाओं का पता लगाना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप था, बाद में इसने विधिक स्थिति को और स्पष्ट करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत के सदस्यों की इच्छा विहित प्राधिकारी अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट पर बाध्यकारी नहीं होंगी, क्योंकि यदि ऐसा निर्वचन किया जाता है तो अधिनियम, 1947 की धारा 12-जे के अंतर्गत विहित प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति को अन्य सदस्यों की राय के अधीन पढ़ा जाना होगा, जो विधि का उचित निर्वचन नहीं होगा। इससे आरक्षण नीति का उल्लंघन होने की संभावना हो सकती है, और/या कोई व्यक्ति अन्य सदस्यों पर अपना नाम प्रस्तावित करने के लिए दबाव डाल सकता है, और/या इसी प्रकार की अन्य बातें हो सकती हैं। खंड

न्यायपीठ ने टिप्पणी की कि विहित प्राधिकारी को परामर्श प्रक्रिया के बाद सदस्यों की राय को स्वीकार करने का निर्देश देना कि ग्राम का प्रधान कौन होना चाहिए, एक सीमा तक धारा के प्रावधानों के विरुद्ध होगा। इस सीमा तक खंड न्यायपीठ ने श्यामू वाद में यह राय व्यक्त की कि श्रीमती उषा सिंह बनाम जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर एवं अन्य, 1992 आरडी 337 के वाद में एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी, जिसमें व्यावहारिक रूप से यह धारित किया गया कि निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया दृष्टिकोण जिला मजिस्ट्रेट पर बाध्यकारी होगा, अधिनियम की धारा 12-जे का उचित निर्वचन नहीं होगा। तदनुसार, न्यायालय ने उदयवीर (उपरोक्त) मामले में खंड न्यायपीठ के निर्णय को ध्यान में रखते हुए विधिक स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट किया कि विहित प्राधिकारी को अधिकतम, सदस्यों की राय को नोट करना चाहिए एवं उसके बाद प्रधान की नियुक्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से निर्धारित प्राधिकारी को यह जानने में कुछ सीमा तक सहायता मिलेगी कि सदस्यों का विश्वास किसे प्राप्त है एवं इससे उसे अनौपचारिक विकल्प चुनने में सहायता मिलेगी। न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की कि यदि अधिकांश सदस्य किसी उम्मीदवार को वरीयता देते हैं, तो विहित प्राधिकारी को सामान्यतः, नियुक्ति की शक्ति का प्रयोग करते हुए, उस राय को ध्यान में रखना चाहिए, यदि प्रस्तावित नाम अन्यथा किसी नीति के विरुद्ध न हो। इससे इस धारा के अंतर्गत निर्धारित प्राधिकारी की शक्ति समाप्त नहीं होगी।

(7) इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद इस न्यायालय का यह मत है कि श्यामू वाद में प्रतिपादित एवं निर्धारित इस प्रक्रिया को विपक्षी संख्या 5 को कार्यवाहक प्रधान के रूप में नामित करने से पूर्व अपनाया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राम पंचायत के शेष सदस्यों की इच्छाओं का पता लगाना एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें ध्यान में रखना अनिवार्य है, लेकिन वे जिला मजिस्ट्रेट पर बाध्यकारी नहीं हैं एवं अधिनियम, 1947 की धारा 12-जे के अंतर्गत अंतिम निर्णय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाना है, जो ग्राम पंचायत के सुचारु संचालन हेतु व्यापक हित में होना चाहिए, जिसे ग्राम सभा से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं।

(8) न्यायालय द्वारा यह तथ्य भी ध्यान में रखा गया है कि विपक्षी संख्या 5 ग्राम पंचायत के

सदस्यों में सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति है। ग्राम सभा के अन्य सदस्यों की इच्छा जानने के बाद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसे भी नामित किया जा सकता है।

(9) उपरोक्त के दृष्टिगत, जिला मजिस्ट्रेट हरदोई को उपरोक्त के आलोक में एक नई प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया जाता है। आक्षेपित आदेश, उक्त प्रक्रिया के अनुसार लिए जाने वाले निर्णय के अधीन होगा, परन्तु यह तब तक लागू रहेगा ताकि ग्राम प्रधान के पद के संबंध में कोई रिक्ति न रहे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया, इस आदेश की प्रमाणित प्रति हरदोई के जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से एक माह के भीतर पूर्ण की जाएगी।

7. जब हम रिट न्यायालय में चुनौती के अंतर्गत आदेश का अध्ययन करते हैं, तो यह पाते हैं कि सीतापुर के जिला पंचायत राज अधिकारी ने ग्राम पंचायत के सदस्यों का विवरण देने वाली एक तालिका का उल्लेख किया है, जिसमें अपीलकर्ता क्रमांक 3 पर एवं प्रतिवादी क्रमांक 11 क्रमांक पर हैं। सदस्यों की शैक्षणिक योग्यताएं कॉलम 6 में उल्लिखित हैं। अपीलकर्ता ने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है, हालांकि कक्षा का विवरण स्पष्ट नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 11 ने जूनियर हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की है। दोनों उम्मीदवार अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा डाले गए 11 मतों में से अपीलकर्ता को मात्र 3 मत प्राप्त हुए, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 11 को 11 मतों में से 7 मत प्राप्त हुए। जैसा कि ऊपर उद्धृत निर्णय के प्रासंगिक अंशों को पढ़ने से स्पष्ट होगा, निःसंदेह डाले गए मतों का बहुमत निर्धारित प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं है, जिसका अर्थ है कि दिए गए तथ्यों एवं परिस्थितियों में वह ग्राम पंचायत के सदस्यों से भिन्न राय व्यक्त कर सकता है, परन्तु इसके लिए मान्य एवं वैध कारण होने चाहिए। इस मामले में हमने पाया कि प्रतिवादी संख्या 11 अपीलकर्ता से अधिक शिक्षित है एवं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसे 11 में से 7 वोट प्राप्त हुए थे, हमने पाया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने श्यामू (उपरोक्त) निर्णयविधि में उल्लिखित टिप्पणियों का आश्रय लेते हुए उचित निर्णय लिया था। इस वाद के तथ्यों के आधार पर, हम इसे इस अंतर-न्यायालय अपील में हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं मानते हैं।

8. जहाँ तक अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रत्नेश चंद्र के इस तर्क का संबंध है कि दबाव एवं प्रभाव का प्रयोग करके वोट प्राप्त किए जा सकते हैं, हमने रिट याचिका में प्रस्तुत अभिवचनों का अध्ययन किया है एवं हमें रिट न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दावा नहीं मिला है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह तर्क तत्काल गढ़ा गया है। इस तर्क के संबंध में कि निर्णय प्रक्रिया आदेश से ही प्रतिबिंबित होनी चाहिए, सदस्यों के विवरण वाली तालिका

में शैक्षणिक योग्यताएं दर्शाई गई हैं। प्रश्न यह है कि आखिर शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख किसलिए किया गया है। स्पष्ट रूप से, यह एक ऐसा कारक है जिस पर विचार किया गया है। किसी भी स्थिति में, हमने मामले के तथ्यों के आधार पर ही अपील **खारिज** की है।

9. तदनुसार, विशेष अपील **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

9 जनवरी, 2026

अर्णिमा